फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री नारू बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

स्म मुकदमा – 136 भू राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 49/24

ाक | **कार्यवाही विवरण**

दिनांक 16.10.2025

पत्रावली प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र शिघ्र सुनवाई का सेवा पर्व पखवाडा अन्तर्गत ग्रामीण सेवा शिविर 2025 बडगाव मे पेश करने पर तलब की गई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थनाग्रस्त भूमि मे प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से नाम में संशोधन कर नारायण पिता लच्छा उर्फ लच्छीराम के स्थान पर नारू पिता लच्छीराम गाडरी अंकित किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी के कथनानुसार ग्राम डाबियो का खेडा पटवार हल्का केदारिया तहसील भीण्डर की जमाबदी संवत् 2078–2081 के खाता संख्या नया 20 व मौजा बडगाव पटवार हल्का बडगाव तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 206, 207 मे प्रार्थी का नाम नारायण पिता लच्छा उर्फ लच्छीराम अंकित है जबकि प्रार्थी द्वारा अपना सही नाम नारू पिता लच्छीराम गाडरी बताया साथ ही बताया कि वक्त विरासत के नामान्तरण के समय प्रार्थी का नारू पुत्र लच्छीराम गाडरी के स्थान पर नारायण पुत्र लच्छा उर्फ लच्छीराम गाडरी सहवन से अंकित हो गया जिसे संशोधित कर सही नाम नारू पुत्र लच्छीराम गाडरी राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि नारायण पिता लच्छा गायरी व नारू पिता लच्छा गायरी दोनो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति होना बताया साथ ही बताया कि पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र मे भी उक्त वर्णित व्यक्तियों को एक ही व्यक्ति होना बताया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र की प्रति, राशन कार्ड की प्रति, जनआधार कार्ड की प्रति, आधार कार्ड की प्रति पेश की जिसमें प्रार्थी का नाम नारू पिता लच्छीराम अंकित है साथ ही कार्यालय ग्राम पंचायत केदारिया का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमे ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया कि नारू पुत्र लच्छा उर्फ लच्छीराम गायरी एवं नारायण पुत्र लच्छा उर्फ लच्छीराम गायरी दो अलग–अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति है।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि ग्राम डाबियो का खेडा पटवार हल्का केदारिया तहसील भीण्डर की जमाबंदी संवत् 2078–2081 की खाता संख्या नया 20 व मौजा बडगांव पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर की खाता संख्या नया 206, खाता संख्या न[illegible] पुत्र लच्छा या नारायण पुत्र लच्छीराम गाडरी को संशोधित करते हुये नारायण पुत्र [illegible] नारायण पुत्र लच्छीराम गाडरी के बजाय **नारू पुत्र लच्छीराम गाडरी** अंकित [illegible] के आदे[illegible] जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ह[illegible] निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.11.17 14:53:37 IST
Reason: SelfAttested